

तारीख पत्र	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>15.03.2016 यह दावा वादिया रहमत बेवा कमरुद्दीन जाति मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी की ओर से श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। वादिया के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिए नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 7.4.2016 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(७७)</p> <p style="text-align: right;">उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)</p> <p>7446 वकील वादी उपर है। प्रतिवादी नं० 3,4,5 न्यायालय में उपस्थित है। इन्होंने अपना जवाब दावा पेश किया। तलवी प्रतिवादी नं० 1,2,6 को जाकर पत्रावली दि० 5-5-16 को पेश हो।</p> <p>5-5-16 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोंडेण्ट/अर्थी/असर्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुमति है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर अटकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24-6-16 को पेश हो।</p> <p>24-6-16 पत्रा० आज राजस्व ब्लोक अदालत कैम्प अहमदपुर में पेश हुई। वादिया रहमत ने राजीनामा पेश कर दावा वापिस लेने की अनुमति चाही है। राजीनामा स्वीकार कर राजीनामा अनुसार वाद निर्णित किया जाता है। पत्रावली जारी किया जावे। पत्रावली कैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दारिजल दफ्तर हो।</p> <p>(सतीश कुमार शर्मा) (रवि कुमार शर्मा) (मुनिदेव यादव) एडवोकेट सदस्य एडवोकेट सदस्य अध्यक्ष लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत गंगापुर सिटी गंगापुर सिटी गंगापुर सिटी</p>	<p style="text-align: center;">नवका कल्या का</p> <p style="text-align: right;">4149-55 156116</p>

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अहमदपुर
पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

रहमत बेबा कमरुद्दीन मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी

—वादी

बनाम

1. मजीद पुत्र अजीज मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
2. सुआ पुत्र नबाब मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
3. बाबू पुत्र नबाब मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
4. कल्या पुत्र नबाब मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
5. नबाब पुत्र इदू मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
6. वारिश पुत्र जहूर मुसलमान निवासी एनवीसी के पास हटवाडा जयपुर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 23/2016

वादी की ओर से वादिया रहमत की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नही की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 24.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादिया को अपना वाद विदड्डा करने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादिया की भूमि पर कोई बाधा उत्पन्न की जाती है तो वादिया को नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 24.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			
4रूपये पर प्लीडर की फीस			
5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय			
6 कमिश्नर की फीस			
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	